रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 1972/वैशाख 29, 1894
No. 111] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 1972/VAISAKHA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th May 1972

SUBJECT :—*Import Policy for the year April 1972—March 1973.*

No. 72-ITC(PN)/72.—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1972—March, 1973.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1972—March, 1973:—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
6	Section I, Paragraph 32	The existing paragraph 32 may be deemed to have been substituted by the following:— "32. It will not be necessary for the applican t to furnish a list of spare parts sought to be imported. The licence will be

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of Amendments
		valid upto 10 per cent of its value, for the import of permissible spare parts required for the plant, machinery, and equipment installed or used in the licence holder's factory, including spare parts of ancillary equipments, control and laboratory instruments and safety appliances. Within this value, the licencee can import restricted spare parts appearing in Appendix 3 for a value not exceeding 12 1/2 per cent thereof subject to a maximum of Rs. 25,000. The import of a single item should not exceed rupees two thousand in value. Spare parts specifically shown as non-permissible in this book will not be allowed."
28	Section II, S. No. 11/II, Column 4	The existing remark (i) 'A.U. for import of German Silver/Nickel Silver Strips on restricted basis' as revised in Public Notice No.58-ITC(PN)/72 dated 20-4-1972 may be deemed to have been replaced by the following :— "(1) A.U. for import of German Silver/ Nickel Silver scrap on restricted basis".
37	Section II, S. No. 41-A/II, Column 4	1. The existing remark (1) may be deemed to have been substituted by the following :— "(1) A.U. for import of :— (*a*) Cathode Blocks and Carbon Tam-ping Binding Mixes for use as a liner in the production of non-ferrous metals by electrolytic process. (*b*) Electrode paste/Carbon paste for electric Arc furnaces (on restricted basis)." 2. The description of item No. (i) in remark (2) may be deemed to have been amended to read as under :— "(i) Graphite electrodes for electric arc furnaces."
50	Section II, S. No. 15(c)/V, Column 4	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "A.U. for the manufacture of paints, varnishes, printing inks, brake linings and clutch facings."
70	Section III	The entry '(List of registering authorities and application and other forms etc.)' shown under the heading 'SECTION III' may be deemed to have been substituted by the following :— "List of items the import of which is canalised through Public Sector Agencies."

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of Amendments
75	Section III, S. No. 22, 31/V, Cols. 2, 3 & 4.	(1) For the entry "Citric acid" appearing in columns 2 and 4, read "Citric acid (technical grade)". (2) The name of canalising agency for "Phosphorous (red)" may be read as "MMTC" instead of "STC". (3) In remark (2) in column 4, the following item may be deemed to have been inserted as S. No. (vi) :— "(vi) Meta aminophenol." [The remarks (*a*) and (b) indicated against items mentioned at S. Nos. (*ii*) to (*v*) will also be applicable to this item]. (4) The item 'Calcium carbide' will be released to actual users on the recommendation of the sponsoring authorities. (5) The description of item No.(21) in column 2 may be deemed to have been amended to read as under :— "(21) Methyl Ethyl ketone peroxide."
167	Section V, Appendix 19, List II, Item No. 63.	The description of this item may be amended to read as under :— "63. Nicotinamide, Nicotinic acid amide, Niacinamide, 3-Pyridine-carboxylic acid amide Nicotamide and Nicotilamide."
169	Section V, Appendix 19	The existing note appearing at the end of Annexure 2 in regard to inclusion of crude drugs not covered by Annexure I and 2 of Appendix 19 in quota licences for crude drugs for Ayurvedic and Unani medicines, may be deemed to have been substituted by the following :— "Requests for inclusion of any other crude drugs in the quota licences issued for crude drugs for Ayurvedic and Unani medicines will not be entertained."
189	Section V, Annexure to Appendix 24, List, III item No. 51.	The description of this item may be read as under :— "51. Sodium-Salt-Oxal Acetic Ester/Oxal Acetic Ester/Oxal Acetic Ester-Sodium Salt."
196	Section V, Appendix 28, para 4, List of canalised items.	The description of items No. (26) and (29) may be deemed to have been amended to read as under :— "(26) Citric acid (technical grade). (29) Methyl Ethyl ketone peroxide."
198	Section V, Appendix 28, List II, Item No. 70, Picolines, Beta and Gamma.	The import of this item will be allowed to actual users upto 20% of the face value of the licence.

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of Amendments
210	Section V, Appendix 31, List-B, Item No. 17.	The existing description of this item may be read as "Parts of 35 mm and 35 mm/70 mm projector mechanism."
213	Section V, Appendix 33	In consonance with the Ministry of Foreign Trade I.T.C. Order No. 3/72 dated 30-4-1972, the following amendments may be made in Appendix 33 of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April 1972—March 1973 :— (1) The words 'Union of South Africa/ South West Africa, Rhodesia and Portugal' appearing in lines 4 and 5, may be substituted by the following:— "Union of South Africa/South West Africa Rhodesia, Tibet region of China, Portugal and Pakistan." (2) The words "Union of South Africa/South West Africa, Rhodesia or Portugal" appearing in proviso (i), may be substituted by the following.— "Union of South Africa/South West Africa, Rhodesia, Tibet region of China, Portugal or Pakistan."
251	Section V, Appendix 41, Schedule 'C' S. No. 7(a)(ii), High Speed Steel of all grades—rounds (3mm to below 22 mm), Column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following:— "Import allowed against NAC from producer mentioned at Sl. Nos. 26 and 58 of Schedule 'E'."
252	Section V, Appendix 41, Schedule 'C', S. No. 7(a)(iii) High Speed Steel of all grades—rounds (22 to 32mm), Column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "Import allowed against N.A.C. from the producers mentioned at Sl. Nos. 4, 18, 26 and 58 of Schedule 'E'."
253	Section V, Appendix 41 Schedule 'C', Item No. 12, Column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "Import allowed on production of N.A.C. from producers mentioned at Sl. Nos. 4, 16, 18, 19, 26 and 58 of Schedule 'E'."
253	Section V, Appendix 41 Schedule 'C'	The note (2) at the bottom may be deemed to have been deleted.
256	Section V, Appendix 41, Schedule 'E'	(1) The name and address of the party at S. No. 26 may be read as under:— "Firth Sterling Steel Company of India Ltd., Thana (Maharashtra). (2) The following entry may be deemed to have been inserted as S. No. 58:— "58. The State Trading Corporation of India Ltd., Chandralok Building Janpath, New Delhi-1."

Page No. of the Red Book Vol. I)	Reference.	Details of amendments.
261	Section V, Appendix 42, Item Nos. 49 to 52 allowed for manufacture of miniature lamps.	(1) The description of item No. 51 may be read as under :— "51. Copper clad wire (Dumet Wire)." (2) The following two items may be deemed to have been inserted as S. Nos. 53 and 54 which will also be permitted for manufacture of miniature lamps :— "53. Neon Gas. 54. Molybdenum wire."

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 मई, 1972

विषय :—अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 वर्ष के लिए आयात नीति ।

संख्या 92–आई० टी० सी० (पी एन)/72 .—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1972–मार्च 1973 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक वा० 1) में यथा निर्दिष्ट आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. अप्रैल, 1972 मार्च, 1973 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक-वा० 1) में उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे :—

रैड बुक (वा० 1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
1	2	3
6	खंड 1 कंडिका 32	वर्तमान कंडिका 32 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की गयी समझी जाए :— "32 आवेदक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि जो फालतू पुर्जे आयात किए जाने हैं उनकी एक सूची प्रस्तुत करें ।

1	2	3
		संयंत्र, मशीन तथा उपकरण जो लाइसेंस-धारी के कारखाने में लगाए गए हैं अथवा उसके कारखाने में प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए आवश्यक स्वीकृत फालतू पुर्जे जिनमें अनुषंगी उपकरणों के फालतू पुर्जे, नियंत्रण तथा प्रयोगशाला औजार तथा सेफ्टी साधित्र भी शामिल हैं, उनके आयात के लिए लाइसेंस उसके मूल्य के 10 प्रतिशत तक के लिए वैध होगा । लाइसेंसधारी इस मूल्य के भीतर परिशिष्ट 3 में दिखाए गए प्रतिबंधित फालतू पुर्जों का आयात कर सकता है जो उनके मूल्य के 12 1/2 प्रतिशत मूल्य से अधिक नहीं होगा और अधिक से अधिक 25,000 रु० के अधीन होगा । केवल एक मद का आयात 2 हजार रु० मूल्य से अधिक का नहीं होना चाहिए । ऐसे फालतू पुर्जे जो इस मुस्तक में विशेष रूप से अस्वीकृत दिखाए गए हैं उनके आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।"
28 खंड II क्रम सं० II/II, कालम 4		सार्वजनिक सूचना सं० 58 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 20-4-72 में यथा परिशोधित वर्तमान टिप्पणी (1) "प्रतिबंधित आधार पर जर्मन सिल्वर/निकल सिल्वर स्ट्रिप्स के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—
		"(1) प्रतिबंधता के आधार पर जर्मन सिल्वर/निकल सिल्वर स्क्रेप के लिए वास्तविक उपयोक्ता" ।

1	2	3
37	खंड II, क्रम सं० 41-ए/II कालम 4.	वर्तमान टिप्पणी (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाय :— "(i) इनका आयात करने के लिए वास्तविक उपयोक्ता :— (क) इलैक्ट्रालिटिक विधि द्वारा अलोह मिश्रित धातु के उत्पादन के लिए लाइनर के रूप में प्रयोग के लिए केथोड्सब्लाक्स तथा टेम्पिंग/बाइंडिंग मिश्रण (ख) इलैक्ट्रिक चाप भट्टियों के लिए इलैक्ट्रोड पेस्ट/कार्बन पेस्ट (प्रतिबंधिता के आधार पर) (2) टिप्पणी (2) में मद सं० (1) के विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाये :— "(1) विद्युत चाप भट्टियों के लिए ग्राफाइट इलैक्ट्रोड्स"।
50	खंड–II, क्रम सं० 15 (सी)/V, कालम 41	वर्तमान टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :— "पेंटस वार्निश, मुद्रण स्याही ब्रेक लाइनिंग तथा क्लच फेसिंग के निर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ता"
70	खंड–III	'खंड–III' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई गई प्रविष्टि '(पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी तथा आवेदन पत्र और अन्य प्रपत्र आदि की सूची)' निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :— "ऐसी मदों के आयात की सूची, जो सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध है"।

1	2	3
75	खंड III, क्रम सं० 22, 31/V, कालम 2, 3 तथा 4	(1) कालम 2 तथा 4 में दिखाई गई प्रविष्टि "साइट्रिक एसिड" को साइट्रिक एसिड (तकनीकी ग्रेड) पढ़ें"। (2) "फास्फोरस (रैड)" के लिए सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी का नाम एस०टी० सी० के बजाए एम एम टी सी पढ़ें। (3) टिप्पणी (2) के कालम 4 में निम्नलिखित मद को क्रम सं० (VI) के रूप में जोड़ा गया समझा जाय :— "(VI) मेटा एमिनोफिनोल" (क्रम संख्याएं (ii) से (v) पर निर्दिष्ट मदों के सामने संकेतित टिप्पणियां (ए) तथा (बी) भी इस पद के लिए लागू होंगी)। (4) वास्तविक उपयोक्ताओं को 'कैल्सियम कार्बाइड मद' का आबंटन प्रायोजक प्राधिकारियों की सिफारिश पर किया जाएगा। (5) कालम 2 में मद सं० (21) के विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किए जाए :— "(21) मेथिल ईथिल किटोन पैरक्साइड".
167	खंड V, परिशिष्ट 19, सूची ii, मद स० 631	इस मद के विवरण को निम्न प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— "63. निकोटिनेमाइड, निकोटिनिक एसिड एमाइड, नायेसिनेमाइड 3-पाइरिडीन कार्बाक्सीलिक एसिड एमाइड, निकोटेमाइड तथा निकोटिलेमाइड"।

1	2	3
169	खंड 5, परिशिष्ट 19	परिशिष्ट 19 के अनुबन्ध 1 और 2 में शामिल न किए गए अपरिष्कृत भेषजों को आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण के लिए अपरिष्कृत भेषजों के लिए कोटा लाइसेंसों में सिम्मलित करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध 2 के अन्त में प्रदर्शित वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :— "आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण के लिए अपरिष्कृत भेषजों के लिए जारी किए गए कोटा लाइसेंसों में किन्हीं अन्य अपरिष्कृत भेषजों के समावेश के लिए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।"
189	खंड 5, परिशिष्ट 24 का अनुबन्ध, सूची 3, मद संख्या 51.	इस मद का विवरण यथा निम्नलिखित पढ़ा जाए :— "51. सोडियम-साल्ट-आक्सल असेटिक एस्टर/आक्सल असेटिक एस्टर/आक्सल असेटिक असेटिक एस्टर-सोडियम साल्ट।"
196	खंड 5, परिशिष्ट 28, पैरा 4, सरणीबद्ध मदों की सूची	मद संख्या (26) और (29) का विवरण यथा निम्न पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— "(26) सिट्रिक एसिड (तकनीकी वर्ग) (29) मिथिलईथिल केटोन पैराक्साइड।"
198	खंड 5, परिशिष्ट 28 सूची 2, मद संख्या 70, पिकोलिन्स बीटा तथा गामा.	इस मद के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत तक वास्तविक उपयोक्ताओं को दी जाएगी।
210	खंड 5, परिशिष्ट 31, सूची बी, मद स० 17.	इस मद का विद्यमान विवरण को "पार्ट्स आफ 35 एमएम/70 एमएम प्रोजेक्टर मैकेनिज्म" के रूप में पढ़ा जाए।
213	खंड 5, परिशिष्ट 33	विदेश व्यापार मन्त्रालय के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 3/72 दिनांक 30-4-1972 से सामंजस्य करने के लिए

1	2	3
		अप्रैल 1972—मार्च 1973 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक वा० 1) के परिशिष्ट 33 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं.— (1) पंक्ति 4 और 5 में दिखाए गए शब्द "दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, रोडेशिया और पुर्तगाल" को निम्नलिखित शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए.— "दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, रोडेशिया, चीन का तिब्बत क्षेत्र, पुर्तगाल और पाकिस्तान ।" (2) परन्तुक (1) में दिखाए गए शब्द "दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, रोडेशिया या पुर्तगाल", निम्नलिखित शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएं.— "दक्षिणी अफ्रीका, संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका रोडेशिया, चीन का तिब्बत क्षेत्र, पुर्तगाल या पाकिस्तान,"
251	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी' क्रम संख्या 7(ए)(ii), सभी कोटियों—घेरों (3 मि० मी० से लेकर 22 मि० मी० से कम तक) का हाई स्पीड स्टील, कालम 3.	वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए.— "अनुसूची 'ई' को क्रम संख्याएं 26 और 58 में उल्लिखित उत्पादक से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र के आधार पर आयात की अनुमति है ।"
252	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी' क्रम सं० 7(ए)(iii), सभी कोटियों—घेरों (22 से 32 मि०मी०) का हाई स्पीड स्टील, कालम 3.	वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए.— "अनुसूची 'ई' की क्रम संख्याएं 4, 18, 26 और 58 में उल्लिखित उत्पादकों से अनुपलब्धता-प्रमाणपत्र के आधार पर आयात की अनुमति है ।"

1	2	3
253	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी', मद स० 12, कालम-3.	वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए,— "अनुसूची 'ई' की क्रम संख्याएं 4, 16, 18, 19, 26 और 58 में उल्लिखित उत्पादकों से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण पर आयात की अनुमति है।"
253	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी'	अधो भाग पर की टिप्पणी (2) हटाई गई समझी जाए।
256	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'ई'.	(1) क्रम स० 26 पर पार्टी का नाम और पता यथा निम्न पढ़ा जाए,— "फिफ्थ स्टर्लिंग स्टील कम्पनी आफ इन्डिया लि०, थाना (महाराष्ट्र)।" (2) निम्नलिखित प्रविष्टि क्रम स० 58 के रूप में निविष्ट की गई समझी जाए :— "58. दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, चन्द्रालोक, बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली–1 :"
261	खंड 5, परिशिष्ट 42, मिनिएचर लैम्पों के निर्माण के लिए अनुमति मद संख्या 49 से 52.	(1) मद संख्या 51 का विवरण यथा निम्न पढ़ा जाए :— "51. कापर क्लेड वायर (इमेट वायर)" (2) निम्नलिखित दो मदें क्रम संख्या 53 तथा 54 के रूप में निविष्ट की गई समझी जाए। ये मदें भी मिनिएचर लैम्पों के निर्माण के लिए अनुमेय होंगी :— "53. निआन गैस 54. मालिब्डिनम वायर।"

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972.